



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273173
CG-DL-E-05062026-273173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2636]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISHTHA 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

का.आ. 2729(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में नार्थ - इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के पानीसागर - अगरतला खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, त्रिपुरा राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

(अनुसूची)

जिला : धलाई				राज्य : त्रिपुरा		
सर्कल	तहसील	मौज़ा	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनु	करमचेरा	पश्चिम करमचेरा	878	00	04	24

[फा. सं. एल - 14014/249/2022 - जी पी - II (ई -45396)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

S.O. 2729 (E).— Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Panisagar-Agartala Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Tripura, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Tripura.

SCHEDULE

District : Dhalai				State: Tripura		
Circle	Tehsil	Mouza	Dag No.	Area		
				Hec.	Are	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manu	karamcherra	Paschim Karamcherra	878	00	04	24

[F. No. L – 14014/249/2022 - G P – II (E - 45396)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.